

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-726

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में निवेश

726. श्री रावसाहेब पाटील दानवे:

श्री रवनीत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का है, यदि हां, तो 2030 तक अनुमानित निवेश की मात्रा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश आमंत्रित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या तौर-तरीके निकाले गये हैं;
- (ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में ढांचागत सुधार प्रारंभ करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश के उन औद्योगिक घरानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विद्युत क्षेत्र में निवेश करने हेतु योजनायें तैयार की हैं और विद्युत संयंत्रों की क्षमता और उनके स्थानों के बारे में इन घरानों द्वारा सरकार से किये गये विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा उन्नीसवें इलैक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) के प्रारम्भिक आकलन से यह पता चलता है कि वर्ष 2017 से 2027 तक की अवधि के दौरान केवल उत्पादन, पारेषण और वितरण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए लगभग 32 लाख करोड़ रूपए की राशि की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान और विकास, जनशक्ति आवश्यकताओं, ऊर्जा संरक्षण उपायों आदि के लिए आनुपातिक निवेश की आवश्यकता होगी।

(ख) : भारत सरकार ने एफडीआई नीति अधिसूचित की है जिसके अंतर्गत स्वचालित मार्ग के माध्यम से उत्पादन (न्यूक्लीयर विद्युत के सिवाय), पारेषण और वितरण में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। उत्पादन संयंत्र स्थापित करने को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। कोई विदेशी या भारतीय कम्पनी जो उत्पादन संयंत्र के निर्माण एवं प्रचालन का इरादा रखती है उसे वर्तमान नियमों एवं विनियमों का पालन करने के अलावा किसी सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) : विद्युत क्षेत्र में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। अब तक विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बनाई गई नीतियों और विनियमों सहित इस अधिनियम के विनियमन से अंतिम उपभोक्ताओं तक इसके लाभ पहुंचाने तथा विद्युत क्षेत्र के संतुलित विकास के समग्र उद्देश्य से इस क्षेत्र में व्यापक सुधार किया है। दक्षता के उद्देश्यों को प्राप्त करने और विद्युत बाजार के विभिन्न खण्डों में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उपभोक्ताओं को विकल्प देने के लिए, सरकार ने, प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 के माध्यम से, विनियमित कार्यकलाप के रूप में कैरिज (वितरण नेटवर्क) को जारी रखते हुए वितरण क्षेत्र में कन्टेन्ट से कैरिज को अलग करके और बाजार के सिद्धांतों पर आधारित प्रशुल्क का निर्धारण करके बहु आपूर्ति लाइसेंसियों की संकल्पना का सुझाव दिया है।

(घ) : उत्पादन को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया है और विकासकर्ताओं को सांविधिक स्वीकृतियाँ लेने के सिवाय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सरकार से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 1,000 करोड़ रूपए से अधिक की लागत वाले जल विद्युत संयंत्रों के मामले में ही, विकासकर्ताओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सहमति प्राप्त करनी होती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति दिए गए जल संयंत्रों की सूची **अनुबंध** में है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 21.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 726 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सीईए द्वारा सहमति दी गई जल विद्युत स्कीमें

क्रम सं.	स्कीम/क्षेत्र/राज्य	एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए सहमति
1	मियार/निजी/हिमाचल प्रदेश	एमएचपीसीएल	120	07.02.2013
2	न्यू गंदरवाल/राज्य/जम्मू व कश्मीर	जेकेएसपीडीसी	93	10.6.14
3	रूपसियाबगर खसियाबारा/केंद्रीय/उत्तराखंड	एनटीपीसी	261	16.10.08
4	तीस्ता स्टेज-IV/केंद्रीय/सिक्किम	एनएचपीसी	520	13.05.10
5	डिबिन/निजी/अरुणाचल प्रदेश	केएसकेडीएचपीएल	120	04.12.09
6	न्यामजंग छू/निजी/अरुणाचल प्रदेश	बीईएल	780	24.03.11
7	तवांग स्टेज-I/केंद्रीय/अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	600	10.10.11
8	टाटो-II/निजी/अरुणाचल प्रदेश	टीएचपीपीएल	700	22.5.12
9	तवांग स्टेज-II/केंद्रीय/अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	800	22.09.11
10	सियोम/निजी/अरुणाचल प्रदेश	एसएचपीपीएल	1000	17.12.13
11	कलाई-II/निजी/अरुणाचल प्रदेश	कलाई पीपीएल	1200	27.3.15
12	हियो/निजी/अरुणाचल प्रदेश	एचएचपीपीएल	240	28.07.15
13	टाटो-I/निजी/अरुणाचल प्रदेश	एसएचपीपीएल	186	28.10.15
14	दिखू/निजी/नागालैंड	एनएमपीपीएल	186	31.03.14
15	चांगो यांगथांग/निजी/हिमाचल प्रदेश	एमपीसीएल	180	31.03.14
16	छतरु/निजी/हिमाचल प्रदेश	डीएससी	126	15.1.2015
17	देवसरी/केंद्रीय/उत्तराखंड	एसजेवीएनएल	252	07.08.12
18	मतनार/राज्य/छत्तीसगढ़	सीएसपीसीपीएल	60	19.08.04
19	लोअर सियांग/निजी/अरुणाचल प्रदेश	जेएवीएल	2700	16.02.10
20	हिरॉग/निजी/अरुणाचल प्रदेश	जेएपीएल	500	10.04.13
21	इटेलिन/निजी/अरुणाचल प्रदेश	ईएचईपीसीएल	3097	12.07.2013
22	टलॉग लॉडा/निजी/अरुणाचल प्रदेश	जीएमआर	225	16.08.2013
23	नेइंग/निजी/अरुणाचल प्रदेश	एनडीएससीपीएल	1000	11.09.2013
24	किंशो-I/निजी/मेघालय	एकेपीपीएल	270	31.3.2015
25	लोअर कोपिली/राज्य/असम	एपीजीसीएल	120	24.05.16
26	किरू/केंद्रीय/जम्मू व कश्मीर	सीवीपीपीएल	624	22.01.16 बैठक तिथि
27	कोटलीभेल स्टेज-I/ए/ केंद्रीय/उत्तराखंड	एनएचपीसी	195	03.10.06
28	कोटलीभेल स्टेज-IB/केंद्रीय/उत्तराखंड	एनएचपीसी	320	31.10.06
29	कोटलीभेल स्टेज-II/केंद्रीय/उत्तराखंड	एनएचपीसी	530	30.11.06
30	अलकनंदा/निजी/उत्तराखंड	जीएमआरएल	300	08.08.08
31	पकलदुल/केंद्रीय/जम्मू व कश्मीर	सीवीपीपी	1000	03.10.06
32	कुटेहर/निजी/हिमाचल प्रदेश	जेएसडब्ल्यूईपीएल	240	31.8.10
33	नाफ्रा/निजी/अरुणाचल प्रदेश	एसएनईएल	120	11.02.11
34	डेम्चे लोअर/निजी/अरुणाचल प्रदेश	एडीपीएल	1750	20.11.09
35	अथिरापल्ली/राज्य/केरल	केएसईबी	163	31.03.05
	<b>कुल</b>		<b>20578</b>	

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-729

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

ऊर्जा दक्षता में सुधार

729. श्री एम.बी. राजेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों और विद्युत कंपनियों को कोई ऊर्जा संरक्षण उपाय सुझाये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को सुधारने हेतु क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने राज्यों और विद्युत यूटिलिटीयों के लिए विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों की शुरुआत की है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) संबंधित राज्यों में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए राज्य पदनामित एजेंसियों की संस्थागत क्षमताओं और सक्षमताओं का सुदृढीकरण।
- (ii) अपने संबंधित क्षेत्रों में भार प्रबंधन कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) कार्य योजना का विकास और डीएसएम कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) का क्षमता निर्माण।
- (iii) निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी) स्कीम के द्वितीय चक्र
- (iv) के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को एक क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है और पारेषण और वितरण हानियों में कमी करने का लक्ष्य जारी किया गया है।
- (v) स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम और डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम का कार्यान्वयन।

(ख) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी स्कीमों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। पीएटी स्कीम के अंतर्गत अभिचिन्हित पदनामित उपभोक्ताओं द्वारा लक्ष्यों के अनुपालन के मूल्यांकन हेतु निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया भी स्थापित की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-742

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

742. श्री बी.वी. नाईक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाई ऑक्साइड के उच्च उत्सर्जन के कारण देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, यदि हां, तो पिछले तीन साल के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, तथा इसे नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि देश में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है जिसके कारण इन संयंत्रों को ग्रेडिंग में सबसे निचले स्तर पर रखा गया है; और
- (ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के आँकड़ों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय विद्युत क्षेत्र से हुआ कुल कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन मिलियन टन में	कोयला आधारित संयंत्रों का विशिष्ट कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन के.जी./के.डब्ल्यू.एच. में।
2012-13	696.3	1.04
2013-14	727.4	1.03
2014-15	805.4	1.01

ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाई-आक्साइड (CO<sub>2</sub>) उत्सर्जन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में है।

ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है:-

ताप विद्युत उत्पादन के लिए अधिक दक्ष सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट कोयला खपत (के.जी/केडब्ल्यूएच) और निम्न CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में कमी हुई; अदक्ष और पुरानी ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों (30.06.2016 की स्थिति के अनुसार लगभग 4740.64 मेगावाट की क्षमता को पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया है) की चरणबद्ध सेवानिवृत्ति; वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य; अधिक दक्ष यूनिटों के लिए कोयला लिक्विड के स्वतः अंतरण संबंधी नीति तैयार करके पुरानी अदक्ष कोयला आधारित ताप यूनिटों को सुपरक्रिटिकल यूनिटों से बदलने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र यूटिलिटीयों को सुकर बनाना।

इसके परिणामस्वरूप, विगत तीन वर्षों के दौरान इन संयंत्रों से विशिष्ट CO<sub>2</sub> उत्सर्जन 1.04 के.जी./केडब्ल्यूएच से घटकर 1.01 के.जी./केडब्ल्यूएच हो गया है।

**(ख) और (ग) :** कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की कच्चे जल खपत आवश्यकता जल की गुणवत्ता, कंडेन्सर कूलिंग प्रणाली की किस्म, कोयले का राखांश, राख निपटान प्रणाली का किस्म, राख उपयोगिता और अपशिष्ट जल प्रबंधन की मात्रा इत्यादि पर निर्भर करती है। भारत में कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों को भारतीय कोयले के उच्च राखांश और उच्च व्यापक तापमान स्थितियों के कारण खपत जल की आवश्यकता तुलनात्मक रूप में अधिक मात्रा में होती है।

सरकार ने ताप विद्युत उत्पादन में जल खपत को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें जल आवश्यकता को कम करने के लिए बंद चक्र कूलिंग जल प्रणाली और सान्द्रण के चक्र (सीओसी) के उच्चस्तर का उपयोग; ऐश वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम (एडब्ल्यूआरएस) की संस्थापना; ड्राई फ्लाइऐश कलेक्शन सिस्टम/हाई कन्सेन्ट्रेशन स्लरी सिस्टम (एचसीएसएस) की संस्थापना; वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट एवं जीरो वाटर डिसचार्ज सिस्टम की संस्थापना शामिल है। भारत सरकार ने दिनांक 28.01.2016 को नई प्रशुल्क नीति भी अधिसूचित कर दी है जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि नगरपालिका/स्थानीय निकाय/उसी प्रकार के संगठन के सिवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की 50 कि.मी. के क्षेत्र में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों को सिवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से उनकी समीपता के क्रम में उन निकायों द्वारा उत्पादित ट्रीटेड सिवेज वाटर का उपयोग अनिवार्य है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 21.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 742 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

ताप विद्युत संयंत्रों (कोयला/गैस/डीजल) से विद्युत उत्पादन का राज्य-वार विशिष्ट CO2 उत्सर्जन (किग्रा CO2/किवा घंटा में)

क्रम सं.	राज्य	2012-13 विशिष्ट CO2 उत्सर्जन किग्राCO2/किवा घंटा	2013-14 विशिष्ट CO2 उत्सर्जन किग्राCO2/किवा घंटा	2014-15 विशिष्ट CO2 उत्सर्जन किग्राCO2/किवा घंटा
1	आंध्र प्रदेश	0.91	0.95	0.96
2	असम (गैस थर्मल पावर स्टेशन)	0.67	0.67	0.66
3	बिहार	0.98	0.99	0.98
4	छत्तीसगढ़	1.00	1.00	0.99
5	दिल्ली {गैस/कोयला (मुख्य गैस)}	0.81	0.82	0.74
6	गोवा (गैस थर्मल पावर स्टेशन)	0.69	0.59	0.55
7	गुजरात	0.90	0.92	0.92
8	हरियाणा	0.98	0.94	0.93
9	जम्मू व कश्मीर (गैस थर्मल पावर स्टेशन)	0.00	0.00	0.00
10	झारखंड	1.12	1.11	1.08
11	कर्नाटक	0.98	0.99	0.98
12	केरल (गैस और डीजल थर्मल पावर स्टेशन)	0.58	0.59	0.58
13	मध्य प्रदेश	1.12	1.08	1.01
14	महाराष्ट्र	0.99	1.02	1.02
15	मणिपुर (डीजल थर्मल पावर स्टेशन)	0.00	0.00	0.00
16	ओडिशा	1.01	1.00	0.98
17	पुडुचेरी (गैस थर्मल पावर स्टेशन)	0.63	0.59	0.66
18	पंजाब	1.02	1.09	1.03
19	राजस्थान	1.05	1.05	1.05
20	तमिलनाडु	1.17	1.14	1.13
21	त्रिपुरा (गैस थर्मल पावर स्टेशन)	0.80	0.65	0.55
22	उत्तर प्रदेश	1.00	1.00	1.00
23	पश्चिम बंगाल	1.09	1.08	1.07

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-745

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

कोयला स्वैपिंग संबंधी नई नीति

745. श्री के. अशोक कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला स्वैपिंग संबंधी नई नीति की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का देश में विद्युत क्षेत्र में 12 ट्रिलियन डॉलर के कुल निवेश का लक्ष्य है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरकार ने विभिन्न उत्पादन स्टेशनों के बीच घरेलू कोयले के उपयोग में नम्यता के लिए स्कीम के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी है जो विद्युत उत्पादन की लागत को कम करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत, वैयक्तिक उत्पादन केंद्रों के स्थान पर प्रत्येक राज्य और कंपनी के स्वामित्व वाले केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के लिए ईंधन आपूर्ति करार के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिगत कोयला लिंकेज की वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू), समेकित एसीक्यू के अनुसार एकत्रित की जानी है। राज्य/केंद्रीय जेनकोस को सस्ती विद्युत का उत्पादन करने के लिए अन्य राज्य/केंद्रीय जेनकोस विद्युत संयंत्रों को कोयला अंतरित करने के साथ-साथ अपने स्वयं के विद्युत संयंत्रों में बहुत ही दक्ष और लागत प्रभावी तरीके से अपने कोयले का उपयोग करने की नम्यता होगी।

(ग) : सरकार 2015 से 2020 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कोयला, विद्युत एवं नवीकरणीय क्षेत्रों के लिए लगभग 250 बिलियन डॉलर का एक संभव निवेश सुअवसर प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। 2030 तक 15 वर्ष के कार्यक्रम हेतु बहिर्वेशन करने से अकेले कोयला, विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र को 1 ट्रिलियन डॉलर का अवसर प्रदान करेगा। वर्ष 2030 तक का यह निवेश पारेषण, नई खदानें शुरू करने, कोयला क्षेत्र में प्रोद्योगिकी लाने, ऊर्जा दक्षता को आगे बढ़ाने, नए कोयला उत्पादन संयंत्रों जैसे क्षेत्रों में है जो राज्य डिस्कमों के लिए वितरण क्षेत्र को लाभप्रद कारोबार करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से उत्कृष्ट संयंत्र होंगे।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-778

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

बांग्लादेश में विद्युत संयंत्र

778. डॉ. किरिट सोमैया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बांग्लादेश में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय पक्ष द्वारा बांग्लादेशी प्राधिकारियों के साथ किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वित्तपोषण पद्धति क्या है; और

(ङ) बांग्लादेश में इस संयंत्र की स्थापना से देश को क्या लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी एनटीपीसी और बांग्लादेश पावर डेवलेपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) ने बांग्लादेश में कोयला आधारित विद्युत परियोजना (परियोजनाओं) के विकास के लिए बराबर (50:50) साम्या भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड (बीआईएफपीसीएल) प्रवर्तित करने हेतु दिनांक 29.01.2012 को संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए हैं। बीआईएफपीसीएल ने दिनांक 31.01.2016 को भेल को 2x660 मेगावाट रामपाल (खुलना) परियोजना के लिए ईपीसी (टर्नकी) पैकेज अर्वाड किया है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1680.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और परियोजना के लिए परिकल्पित वित्तपोषण पद्धति 70% ऋण और 30% साम्या है। एनटीपीसी को उसके द्वारा सृजित लाभ से बीआईएफपीसीएल से लाभांश प्राप्त होंगे। यह दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय विद्युत सहयोग को भी सुदृढ़ करेगा।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-786

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

इंटर-रीजनल ट्रांसमिशन कोरिडोर

786. श्री दिलीप पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की अतिरिक्त विद्युत वाले राज्यों से कम विद्युत वाले राज्यों को विद्युत की आपूर्ति हेतु इंटर-रीजनल ट्रांसमिशन कोरिडोर प्रदान करने की कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार कम विद्युत वाले राज्यों को अतिरिक्त विद्युत वाले राज्यों जैसे गुजरात से बिजली के प्रवाह के लिए कोरिडोर/लिंक्स को सुदृढ़ बनाने और एक्सप्रेस डायरेक्ट कोरिडोर को बिछाने के लिए कोई तुरंत कार्रवाई करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का इंटर-रीजनल ट्रांसमिशन लिंक्स के तत्काल सृजन/सुदृढ़ीकरण के लिए पीएसडीएफ में पड़ी धनराशि का उपयोग करने का विचार है, ताकि उत्पादन क्षमता के कम होने अथवा मांग में कटौती होने की स्थिति से बचा जा सके; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : अंतरराज्यीय पारेषण लाइनें अंतरराज्यीय उत्पादन केंद्रों से निकासी प्रणाली के भाग तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के रूप में भी नियोजित एवं कार्यान्वित की जाती हैं। इन लाइनों का उपयोग मुख्यतः इन केंद्रों से विभिन्न राज्यों में इनके लाभार्थियों को विद्युत पहुंचाने के लिए किया जाता है। अंतरराज्यीय लाइनों अर्थात् क्षेत्र के भीतर की पारेषण लाइनों तथा अंतरक्षेत्रीय लाइनों का उपयोग भी अतिरिक्त विद्युत वाले राज्यों/क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले राज्यों/क्षेत्रों में, इन लाइनों में मार्जिन की उपलब्धता के अध्यधीन विद्युत के अंतरण के लिए किया जाता है।

**(ख) :** जी, हाँ। कई अंतर्क्षेत्रीय लिंकों की योजना तैयार की गई है जो पांच क्षेत्रीय ग्रिडों अर्थात् उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। वर्तमान में, ऐसे अंतर्क्षेत्रीय लिंकों की कुल पारेषण क्षमता 59,550 मेगावाट (जून, 2016) है जिसके 12वीं योजना के अंत तक अर्थात् मार्च, 2017 तक 68,050 मेगावाट तक की वृद्धि होने की संभावना है।

गुजरात एवं अतिरिक्त विद्युत वाले अन्य राज्य देश के किसी भी हिस्से में विद्युत के निर्यात के लिए दीर्घावधि, मध्यावधि एवं लघु अवधि खुली पहुंच (एसटीओए) प्राप्त करने के पात्र हैं। केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) दीर्घावधि खुली पहुंच (एलटीए)/मध्यावधि खुली पहुंच (एमटीओए) की अनुमति के लिए नोडल एजेंसी है तथा एसटीओए के लिए नोडल एजेंसी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी) है।

गुजरात अथवा अतिरिक्त विद्युत वाले ऐसे राज्य यदि दीर्घकालिक आधार पर राज्य के बाहर अतिरिक्त विद्युत बेचना चाहते हैं तो उन्हें अग्रिम रूप से दीर्घकालिक पारेषण पहुंच प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि किसी नई पारेषण अवसंरचना के सृजन में तीन से चार वर्षों का समय लगता है।

**(ग) और (घ) :** विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के प्रचालनीकरण के लिए स्कीम के अनुसार पीएसडीएफ का उपयोग अंतरराज्यीय पारेषण प्रणालियों (आईएसटीएस) तथा अंतःराज्यीय प्रणाली में संकुलता को समाप्त करने के लिए भार प्रेषण केंद्रों द्वारा प्रचालनात्मक फीडबैक के आधार पर युक्तिपूर्ण महत्व वाली आवश्यक पारेषण प्रणालियों तैयार करने के लिए किया जा सकता है जो आईएसटीएस के लिए आकस्मिक होती है तथा पीएसडीएफ से वित्तपोषण हेतु पात्र होती हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार किसी निकाय द्वारा आज की तिथि तक ऐसी कोई स्कीम प्रस्तुत नहीं की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-794

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम-एलईडी

794. श्री गौरव गोगोई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्यमान 3.5 करोड़ की उच्च ऊर्जा वाली पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को कुशल एलईडी लाइटों से बदलने के लिए बने सरकार के नवोन्मेषी कार्यक्रम "स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम" ने अपने लक्ष्यों को हासिल किया है;
- (ख) यदि हां, तो 2015-16 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसमें क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत क्षेत्र के चार पीएसयू की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें मार्च, 2019 तक परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदले जाने की परिकल्पना की गई है। इन स्ट्रीट लाइटों को बदलने में ईईएसएल उत्प्रेरक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है जबकि कई अन्य आपूर्तिकर्ता भी शहरों/राज्यों में यह भूमिका अदा कर रहे हैं।

वर्ष 2015-16 के लिए 100 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का लक्ष्य था जबकि ईईएसएल पहले ही 112 यूएलबी में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर चुका है। ईईएसएल द्वारा लगाई गई एलईडी स्ट्रीट लाइटों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 21.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 794 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	राज्य	ईईएसएल द्वारा लगाई गई एलईडी स्ट्रीट लाइटें
1.	आंध्र प्रदेश	3,93,500
2.	दिल्ली (केवल दक्षिण दिल्ली नगर निगम क्षेत्र)	1,88,973
3.	केरल (केवल एलेप्पी जिला)	5,676
4.	राजस्थान	3,74,914
5.	त्रिपुरा (केवल अगरतला शहर)	34,200
6.	उत्तर प्रदेश (अलीगढ़ और वाराणसी शहर)	17,290
7.	असम	3,535
8.	तेलंगाना	971 (पायलट परियोजना)
9.	पुडुचेरी	300 (पायलट परियोजना)
10.	महाराष्ट्र	659 (पायलट परियोजना)
11.	बिहार	150 (पायलट परियोजना)
	<b>कुल</b>	<b>10,20,168</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-833

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु विद्युत भण्डारण सुविधाएं

833. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत भण्डारण सुविधाएं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम और 24 घण्टे विद्युत उपलब्धता के लिए अहम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश में ग्रिड अवसंरचना काफी पुरानी है और विद्युत भण्डारण प्रौद्योगिकी की तुलना में असंगत है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;
- (घ) क्या विद्यमान ग्रिड अवसंरचना में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की मदद के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के अंतर्गत बैटरी स्टोरेज का प्रयोग विकेंद्रित वितरित उत्पादन (डीडीजी) परियोजनाओं में किया जाता है। यह योजना उन गैर-विद्युतीकृत गांवों के लिए है जहां ग्रिड कनेक्टिविटी न तो तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और न ही लागत प्रभावी है। ये परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित हैं।

(ख) से (ङ) : जी, नहीं। भारतीय ग्रिड को निधियों की उपलब्धता के अधीन उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकियों से समय-समय पर उन्नत किया जा रहा है। समग्र रूप से, हमारी ग्रिड अवसंरचना विद्युत स्टोरेज प्रौद्योगिकी के अनुकूल है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-836

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

836. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र की भागीदारी आकर्षित करने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का विचार विद्युत वितरण का निजीकरण करने और पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिए उपाय करने का है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु तैयार कार्य योजना की रूप रेखा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बनाई गई नीतियों और विनियमों सहित इस अधिनियम के विनियमन से अंतिम उपभोक्ताओं तक इसके लाभ पहुंचाने तथा विद्युत क्षेत्र के संतुलित विकास के समग्र उद्देश्य से इस क्षेत्र में व्यापक सुधार किया है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, इस अधिनियम के प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित विभिन्न सांविधिक निकायों और इकाइयों पर लागू होते हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों में विद्युत क्षेत्र में सुधारों की रूपरेखा की व्यवस्था बनाई गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की विशेषताओं में से एक विशेषता अंतिम उपभोक्ता के लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना है जिसका तात्पर्य यह है कि बाजार में बहुत से क्रेता और विक्रेता प्रचालन में हैं जो यह सूचित करता है कि निजी क्षेत्र का प्रोत्साहन अंतर्निहित है। वर्तमान समय में, लगभग 41% उत्पादन क्षमता निजी है और पारेषण क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेशों का प्रवाह भी हो रहा है।

तथापि, विद्युत का वितरण राज्य का विषय है और वितरण को निजी करने का कोई भी निर्णय केवल राज्यों द्वारा ही लिया जाना होता है। दक्षता के उद्देश्यों को प्राप्त करने और विद्युत बाजार के विभिन्न खण्डों में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उपभोक्ताओं को विकल्प देने के लिए, सरकार ने, प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 के माध्यम से, विनियमित कार्यकलाप के रूप में कैरिज (वितरण नेटवर्क) को जारी रखते हुए वितरण क्षेत्र में कन्टेन्ट से कैरिज को अलग करके और बाजार के सिद्धांतों पर आधारित प्रशुल्क का निर्धारण करके बहु आपूर्ति लाइसेंसियों की संकल्पना का सुझाव दिया है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए प्रशुल्क में विनियामक के माध्यम से सीमित किए जाने का प्रस्ताव है और आपूर्ति लाइसेंसियों में से एक लाइसेंसी को सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी बनाए जाने का प्रस्ताव है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-842

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत की आपूर्ति और खपत

842. डॉ. भोला सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत की आपूर्ति और खपत का ब्यौरा और इससे सृजित आय कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार देश भर में ग्राहकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान और निजी कंपनियों के मनमाने व्यवहार को रोकने के लिए किसी विशिष्ट कार्य योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उपलब्ध कराई गई विद्युत और खपत की गई विद्युत का संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	2015-16	2014-15	2013-14
उपलब्ध कराई गई विद्युत और खपत की गई विद्युत (एमयू)	1,090,850	1,030,785	959,829

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. की वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए "राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के निष्पादन" संबंधी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान बेची गई ऊर्जा से 3,28,853 करोड़ रुपए की आय हुई।

(ख) : विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए 12वीं योजना अर्थात् 2016-17 के दौरान 1,18,537 मेगावाट (88537 मेगावाट परंपरागत और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि करने की आयोजना थी। इसके लिए, 30 जून, 2016 तक परंपरागत स्रोतों से लगभग 86,565 मेगावाट और नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 19,500 मेगावाट हासिल की गई जा चुकी है।

(ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और निजी कंपनियों के स्वेच्छाचारी व्यवहार की जांच संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आती है। भारत सरकार सीपीएसयू के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके और उन्हें उन संयंत्रों से विद्युत का आबंटन करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। केंद्रीय क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि किए जाने से राज्यों को विद्युत आबंटन के माध्यम से कई राज्यों में विद्युत की उपलब्धता में सुधार हुआ है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों अर्थात् उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के माध्यम से राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-849

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

एकल ग्रिड वाली विद्युत परियोजना

849. डॉ. कंभमपति हरिबाबू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अंतर-क्षेत्रीय संपर्क प्रदान करने के लिए एकल ग्रिड वाली विद्युत परियोजना को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरे होने की आशा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : देश में दक्षिणी ग्रेड को शेष ग्रिड से जोड़ते हुए 765 केवी रायचूर-शोलापुर पारेषण लाइन का पहला सर्किट 31 दिसम्बर, 2013 को चालू किया गया था तथा 765 केवी रायचूर-सोलापुर लाइन का दूसरा सर्किट 30 जून, 2014 में चालू किया गया था, इस प्रकार सिंगल सिंक्रोनाइज्ड राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना की गई थी।

इसके अतिरिक्त, दक्षिणी क्षेत्र के लिए उपलब्ध अन्तरण क्षमता (एटीसी) में सितंबर, 2014 में 3450 मे0वा0 से 5900 मे0वा0 तक की वृद्धि अर्थात् 765 केवी पुणे-सोलापुर, 765 केवी औरंगाबाद-सोलापुर तथा 765 केवी नरेन्द्र-कोल्हापुर पारेषण लाइनें चालू करके 71% तक की वृद्धि की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-853

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

विद्यमान विद्युत ढांचे पर अत्यधिक भार

853. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में उप-केन्द्रों सहित विद्यमान विद्युत ढांचे पर अत्यधिक भार होने के प्रति अवगत है जिसके कारण ये अधिक गर्म हो रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार मुम्बई सहित देश में विद्यमान उप-केन्द्रों के परिचालन स्तर को कम करने एवं स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी वाली अधिक उप-केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता देने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : केंद्रीय स्तर पर देश की समग्र पारेषण प्रणाली अर्थात् उपकेंद्र और पारेषण लाइनों की आयोजना, निर्माण और प्रचालन मानदण्ड सामान्यतया (एन-1) मानक होते हैं। इसका अर्थ है कि इस प्रणाली में किसी भी ओवरलोडिंग से किसी भी सिंगल लाइन में बंदी नहीं होगी तथापि, यदि प्रणाली में ओवरलोडिंग की स्थिति आती है तो संबंधित प्रणाली प्रचालक उत्पादन का पुनः निर्धारण करता है। ऐसे मामले में जहां निरंतर ओवरलोडिंग है वहां संबंधित पणधारकों द्वारा पारेषण प्रणाली संवर्धन और सुदृढीकरण किया जाता है।

विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य के भीतर विद्युत संरचना की भावी स्थिति सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार विद्युत अवसंरचना में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और समेकित विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के माध्यम से राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-860

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

सभी के लिए विद्युत योजना

860. श्री मनोज तिवारी:

श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार सभी के लिए चौबीस घंटे बिजली के प्रावधान को सुनिश्चित करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो क्या अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत की आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके तथा उनसे विद्युत संयंत्रों को विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

भारत सरकार ने सभी के लिए 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ एक संयुक्त पहल शुरू की है। अट्वाइस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य विशिष्ट योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों जैसे उज्ज्वल डिस्काम एशयोरेंस योजना (उदय), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-863

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन

863. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों की तुलना में देश में वर्तमान में विद्युत उत्पादन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विद्युत उत्पादन मांग के अनुरूप है यदि हां, तो मांग और आपूर्ति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को जानकारी है कि विद्युत उत्पादन क्षेत्र के समक्ष ईंधन अभाव के कारण समस्या उत्पन्न हो गई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विद्युत उत्पादकों को ईंधन की आपूर्ति की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के जून, 2016 तक विद्युत उत्पादन के ब्यौरा अनुबंध-I में हैं।

(ख) : राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा अनुबंध-II पर है।

(ग) और (घ) : वर्ष 2015-16 के दौरान कोयले की कमी के कारण किसी भी विद्युत संयंत्रों ने उत्पादन हानि की सूचना नहीं दी है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा सूचित किए अनुसार गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस की कमी हुई है।

देश में स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को पुनर्जीवित करने और उपयोग में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए एक योजना स्वीकृत की है। इस योजना में रिवर्स ई-बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से चयनित स्ट्रैंडिड गैस आधारित संयंत्रों तथा घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों के लिए आयातित स्पोट आरएलएनजी की आपूर्ति शामिल है। इस योजना में सभी पणधारकों द्वारा सामूहिक रूप से किए गए त्याग और पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) से सहयोग की परिकल्पना भी की गई है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 21.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 863 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्षेत्र-वार व राज्य-वार उत्पादन				
राज्य	2016-17 (जून, 16 तक)	2015-16	2014-15	2013-14
	उत्पादन (एमयू)	उत्पादन (एमयू)	उत्पादन (एमयू)	उत्पादन (एमयू)
बीबीएमबी	2787.15	11818.9	10599.78	12125.01
दिल्ली	1808.12	6206.1	8722.83	8637.67
हरियाणा	5675.08	22247.14	28748.61	26374.22
हिमाचल प्रदेश	8962.84	27087.49	23319.13	21680.66
जम्मू व कश्मीर	5377.19	15136.15	14485.02	12426.79
पंजाब	7144.59	23342.89	22960.9	20731.49
राजस्थान	13889.19	53947.35	54185.92	45851.36
उत्तर प्रदेश	29935.35	111329.53	111901.74	111843.01
उत्तराखंड	3071.4	12765.92	11439.22	11025.01
छत्तीसगढ़	26669.79	89513.29	79710.57	70930.12
गोवा	0	0	12.61	241.32
गुजरात	24970.53	104917.26	105538.54	97198.69
मध्य प्रदेश	25059	95740.5	75212.47	59646.87
महाराष्ट्र	28956.68	117244.43	107309.21	94699.94
आंध्र प्रदेश	16068.3	58230.59	45245.42	45526.85
कर्नाटक	10584.38	47553.25	50163.29	49364.51
केरल	1293.12	6653.34	8034.17	9249.8
लक्षद्वीप				
पुडुचेरी	60.84	227.59	102.14	256.97
तमिलनाडु	22290.69	76406.83	71418.41	62210.7
तेलंगाना	9516.57	36868.2	40901.97	39152.87
अंडमान निकोबार	45.03	182.85	153.76	171.49
बिहार	6340.18	20827.01	18272.27	14939.36
डीवीसी	8710.05	28029.93	25551.11	28115.29
झारखंड	3870.53	15933.67	14621.88	14345.18
ओडिशा	14223.82	57221.8	51332.44	46212.19
सिक्किम	1106.07	3551.92	3345.29	2945.38
पश्चिम बंगाल	13430.31	46946.62	49742.02	46069.88
अरुणाचल प्रदेश	380.56	1280.25	1109.48	980.94
असम	1498.17	4522.12	4299.84	4365.22
मणिपुर	175.99	536.64	372.44	639.84
मेघालय	257.63	1035.99	863.15	981.61
मिजोरम				
नागालैंड	33.3	163.14	165.15	245.71
त्रिपुरा	1319.6	5109.38	3824.44	2366.49
भूटान (आयात)	968.86	5244.21	5007.74	5597.9
	<b>296480.91</b>	<b>1107822.28</b>	<b>1048672.96</b>	<b>967150.34</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 21.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 863 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में जून तक के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और उपलब्धता

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	अप्रैल, 2016 - जून, 2016		अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016		अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015		अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
चंडीगढ़	489	489	1607	1607	1616	1616	1,574	1,574
दिल्ली	9413	9397	29626	29583	29231	29106	26,867	26,791
हरियाणा	12611	12611	47506	47437	46615	46432	43,463	43,213
हिमाचल प्रदेश	2169	2156	8821	8758	8807	8728	9,089	8,883
जम्मू व कश्मीर	4403	3600	16572	14037	16214	13119	15,613	12,187
पंजाब	14081	14081	49687	49675	48629	48144	47,821	47,084
राजस्थान	17190	17168	67417	67205	65717	65310	58,202	58,042
उत्तर प्रदेश	28155	27256	106351	93033	103179	87062	94,890	81,613
उत्तराखंड	3405	3380	12889	12675	12445	12072	11,944	11,493
उत्तरी क्षेत्र	91917	90139	340476	324009	332453	311589	309,463	290,880
छत्तीसगढ़	6164	6140	25649	25309	21499	21230	18,932	18,800
गुजरात	28292	28292	103544	103540	96235	96211	88,497	88,488
मध्य प्रदेश	15428	15427	62374	62374	53374	53082	49,410	49,385
महाराष्ट्र	36650	36613	141817	141361	134897	133078	126,288	123,672
दमन व दीव	595	595	2337	2337	2086	2086	2,252	2,252
दादर व नागर हवेली	1524	1524	5925	5925	5307	5304	5,390	5,388
गोवा	1271	1269	5120	5119	3969	3932	3,890	3,871
पश्चिमी क्षेत्र	89925	89862	346768	345966	317367	314923	294,659	291,856
आंध्र प्रदेश	13162	13127	50436	50366	59198	56313	95,662	89,036
तेलंगाना	12043	12039	50254	49948	43337	40644	-	-
कर्नाटक	16291	16063	64302	60971	62643	59926	64,150	58,052
केरल	6296	6277	23318	23194	22459	22127	21,577	21,052
तमिलनाडु	27375	27367	97276	96586	95758	92750	93,508	87,980
पुडुचेरी	677	676	2437	2429	2402	2376	2,344	2,320
लक्षद्वीप#	12	12	48	48	48	48	48	48
दक्षिणी क्षेत्र	75845	75549	288025	283494	285797	274136	277,245	258,444
बिहार	6848	6705	23961	23659	19294	18759	15,391	14,759
डीवीसी	4626	4599	18437	18234	18222	17728	17,407	17,296
झारखंड	2040	2034	7735	7561	7599	7390	7,143	7,007
ओडिशा	7186	7184	26762	26600	26482	26052	24,958	24,546
पश्चिम बंगाल	13175	13128	47359	47194	47086	46827	42,891	42,762
सिक्किम	124	124	399	399	399	399	413	413
अंडमान निकोबार#	60	45	240	180	240	180	240	180
पूर्वी क्षेत्र	34000	33775	124654	123646	119082	117155	108,203	106,783
अरुणाचल प्रदेश	165	160	626	591	677	610	552	517
असम	2221	2092	8762	8272	8527	7926	7,544	7,062
मणिपुर	171	163	840	810	705	678	579	548
मेघालय	392	392	1833	1725	1930	1634	1,794	1,604
मिजोरम	119	116	471	455	455	425	446	430
नागालैंड	168	164	755	739	688	661	577	561
त्रिपुरा	423	412	1202	1146	1242	1048	1,195	1,144
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3659	3498	14488	13735	14224	12982	12,687	11,866
<b>अखिल भारत</b>	<b>295344</b>	<b>292822</b>	<b>1114408</b>	<b>1090850</b>	<b>1068923</b>	<b>1030785</b>	<b>1,002,257</b>	<b>959,829</b>

# लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-866

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन इकाइयों के पास कोयला भंडार

866. श्री ए. अरुणमणिदेवनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत उत्पादन इकाइयां गत वर्ष में 29 मिलियन टन कोयला भंडार की तुलना में इस वर्ष अप्रैल अंत तक 36 मिलियन कोयला भंडार पर अधिकार जमाए बैठी हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या वर्तमान में कोयला भंडार विद्युत इकाइयों के पास गत चार वर्षों में सबसे अधिक हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या जमा हुआ कोयला भंडार खतरनाक है क्योंकि यह ज्वलनशील होता है, पर्यावरण को इससे खतरा है तथा लम्बे समय से खुले होने पर इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 28 अप्रैल, 2016 को कोयले का स्टॉक 35.92 मिलियन टन (एमटी) था जबकि 30 अप्रैल, 2015 को यह 29.76 एमटी था।

(ख) : कोयले का स्टॉक 31 मार्च, 2016 को विगत चार वर्षों में सबसे अधिक था। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	को कोयले का स्टॉक	कोयले का स्टॉक (एमटी)
1.	31.03.2013	18.98
2.	31.03.2014	20.29
3.	31.03.2015	26.10
4.	31.03.2016	38.87

(ग) : 13 जुलाई, 2016 की स्थिति के अनुसार, कोयले के स्टॉक की वास्तविक स्थिति 31.17 एमटी थी जो 21 दिनों के लिए संयंत्रों का प्रचालन करने के लिए 28.45 एमटी के नियामक कोयला स्टॉक की तुलना में 23 दिनों के लिए संयंत्रों का प्रचालन करने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, ये संयंत्र, संयंत्रों के लिए निर्धारित की गई अनुसूची के अनुरूप अपनी आवश्यकता के आधार पर दैनिक आधार पर कोयला प्राप्त करते हैं तथा इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार, कोयले का स्टॉक स्थिर नहीं होता है और लंबे समय के लिए इसका भंडारण नहीं किया जाता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-867

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

बंद पड़े विद्युत संयंत्र

867. श्री रोड़मल नागर:

श्री अनूप मिश्रा:

श्रीमती कोथापल्ली गीता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न राज्यों में कई विद्युत संयंत्र बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इन संयंत्रों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं तथा इस कार्य के लिए आवंटन हेतु संयंत्र-वार कितना धन प्रस्तावित है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : गत एक वर्ष अथवा उससे अधिक के दौरान विद्युत उत्पादित न करने वाले विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा बिजली की कटौती के कारणों सहित अनुबंध में है।

(ग) : सरकार ने रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित स्ट्रैंडिड विद्युत संयंत्रों तथा घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों को स्पॉट आरएलएनजी (ई-बोली आरएलएनजी) की आपूर्ति द्वारा देश में घरेलू प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी के कारण उपयोग न की गई या कम उपयोग की गई स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के पुनरुद्धार एवं सुधार के लिए एक स्कीम अनुमोदित की है। स्कीम के अंतर्गत परिकल्पित अन्य रियायतों में आयातित एलएनजी पर सीमा शुल्क का अधित्याग, मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, ऑक्स्ट्राय और प्रविष्टि कर का अधित्याग, पुनःगैसीकरण और परिवहन पर सेवा कर का अधित्याग, पाइपलाइन प्रशुल्क दरों, पुनःगैसीकरण और विपणन लाभ में कमी, स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए पारेषण अधिभारों और हानियों से छूट और विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) भारत सरकार से सहायता, यदि अपेक्षित हो, शामिल है।

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला उपलब्ध करवाने के लिए, सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए एक पृथक ई-नीलामी विन्डो शुरू की है जिसके अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) नियमित अंतरालों पर पर्याप्त मात्रा ऑफर करते हुए सतत आधार पर केवल विद्युत क्षेत्र के लिए ही कोयले की ई-नीलामी करने के लिए व्यवस्था कर रही है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 21.07.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

जून, 2015 से शून्य उत्पादन कर रहे विद्युत स्टेशनों की सूची

राज्य	क्षेत्र	ईंधन	यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	30.06.2016 की स्थिति के अनुसार क्षमता	बंदी की तिथि	बंदी के कारण
आंध्र प्रदेश	निजी	प्राकृतिक गैस	गौतमी	गौतमी सीसीपीपी	464	30.04.15	गैस की अनुपलब्धता
आंध्र प्रदेश	राज्य	जल	टीएसजैको	नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस	60	11.01.15	वर्षा की कमी, अंतर्वाह और निम्न नहर स्तर
आंध्र प्रदेश	राज्य	जल	एपजैको	नागार्जुन सागर आरबीसी एचपीएस	90	28.02.15	वर्षा की कमी, अंतर्वाह और निम्न नहर स्तर
असम	राज्य	बहु ईंधन	एपीजीपीसीएल	चंद्रपुर (असम) टीपीएस	60	जुलाई-99	खर्चोला प्रचालन
छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	वीईएसपीएल	काटघोरा टीपीपी	35	15.10.12	ईंधन नहीं/पीपीए हस्ताक्षरित नहीं किया गया
छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	वीवीएल	सलोरा टीपीपी	135	19.10.14	ईंधन नहीं/पीपीए हस्ताक्षरित नहीं किया गया
छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	एसीबी	स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25	01.04.15	निम्न अनुसूची
दिल्ली	निजी	प्राकृतिक गैस	एनडीपीएल	रिठाला सीसीपीपी	108	07.06.13	खर्चोला प्रचालन
दिल्ली	राज्य	कोयला	आईपीजीपीसीएल	राजघाट टीपीएस	135	21.05.15	निम्न अनुसूची
डीवीसी	केंद्रीय	नाफथा	डीवीसी	मैथॉन जीटी (लिक्वि.)	90	जून-06	खर्चोला प्रचालन
गोवा	निजी	नाफथा	रिलायंस	गोवा सीसीपीपी (लिक्वि.)	48		ईंधन नहीं/पीपीए हस्ताक्षरित नहीं किया गया
गुजरात	निजी	प्राकृतिक गैस	एस्सार	एस्सार सीसीपीपी	515	01.02.15	जीटी-डीडीसी एमआईएस प्रणाली समस्या
जम्मू व कश्मीर	राज्य	हाई स्पीड डीजल	जेकेएसपीडीसी	पम्पोर जीपीएस (लिक्वि.)	175	01.03.12	खर्चोला प्रचालन
झारखंड	केंद्रीय	प्राकृतिक गैस	डीवीसी	मैथॉन जीटी (लिक्वि.)	90	15.05.06	खर्चोला प्रचालन
कर्नाटक	राज्य	डीजल	केपीसीएल	येलहांका (डीजी)	127.92	01.09.13	खर्चोला प्रचालन
केरल	निजी	नाफथा	बीएसईएस (सी)	कोचीन सीसीपीपी (लिक्वि.)	174	15.10.15	पीपीए का नवीकरण प्रतीक्षित
महाराष्ट्र	निजी	कोयला	आईईपीएल	बेला टीपीएस	270	22.03.13	खर्चोला प्रचालन
महाराष्ट्र	निजी	कोयला	जीईपीएल	जीईपीएल टीपीपी फेज-1	120	29.06.13	ईंधन आपूर्ति नहीं
महाराष्ट्र	निजी	कोयला	एएमएनईपीएल	मिहान टीपीएस	246	05.11.13	निम्न अनुसूची
महाराष्ट्र	निजी	कोयला	रत्न इंडिया	नासिक (पी) टीपीएस	270	04.03.14	पारेषण बाध्यता
महाराष्ट्र	राज्य	कोयला	महाजैको	पार्ली टीपीएस	1380	जून-15	कच्चे जल की समस्या
महाराष्ट्र	केंद्रीय	प्राकृतिक गैस	आरजीपीपीएल	रत्नागिरी सीसीपीपी-1	740	जुलाई-13	गैस की कमी
मणिपुर	राज्य	डीजल	ईडी, मणिपुर	लीमाखोंग डीजी	36	01.08.09	खर्चोला प्रचालन
राजस्थान	केंद्रीय	न्यूक्लियर	डीएई	डीएई (राजस्थान)	100	09.10.04	जेनरेटर अर्थ फॉल्ट/विनियामक स्वीकृति
पश्चिम बंगाल	राज्य	हाई स्पीड डीजल	डब्ल्यूबीपीडीसी	हल्दिया जीटी (लिक्वि.)	40	जुलाई-02	खर्चोला प्रचालन
पश्चिम बंगाल	राज्य	हाई स्पीड डीजल	डब्ल्यूबीपीडीसी	कस्बा जीटी (लिक्वि.)	40	जून-02	खर्चोला प्रचालन

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-915

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

बिहार में विद्युत आपूर्ति

915. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषरूप से बिहार में 24 x 7 विद्युत आपूर्ति हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) योजना के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा आबंटित तथा व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समेकित विद्युत विकास योजना तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को विद्युत की नियमित आपूर्ति करने हेतु विद्युत उप स्टेशन स्थापित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष (30.06.2016 की स्थिति के अनुसार) के दौरान बिहार सहित देश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और जारी किए गए अनुदान के ब्यौरे अनुबंध-I में हैं।

(ख) और (ग) : जी, हां। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अर्थात् 30.06.2016 तक एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत 1056 उप-केंद्र और डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 1670 उप-केंद्र स्वीकृत किए गए हैं जिनका ब्यौरा अनुबंध-II में है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 21.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 915 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार स्वीकृत परियोजनाएं और जारी किया गया अनुदान

क्रम सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17 (30.06.2016 की स्थिति के अनुसार)	
		परियोजना लागत (रु. करोड़ में)	जारी किया गया अनुदान (रु. करोड़ में)	परियोजना लागत (रु. करोड़ में)	जारी किया गया अनुदान (रु. करोड़ में)	परियोजना लागत (रु. करोड़ में)	जारी किया गया अनुदान (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	328.61	20.22	615.55	30.64	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	60.34	267.20	30.98	151.73	15.92
3	असम	0.00	114.62	1540.81	338.01	0.00	74.18
4	बिहार	0.00	1489.80	5856.36	710.22	0.00	461.36
5	छत्तीसगढ़	0.00	94.23	1253.99	279.32	273.85	20.02
6	दादर व नागर हवेली	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	0.00	12.36	924.72	57.79	0.00	0.00
9	हरियाणा	0.00	-14.24	316.38	0.00	0.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	159.12	0.00	0.00	28.35	0.00	0.00
11	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	619.67	0.00	0.00	0.00
12	झारखंड	0.00	9.42	3843.41	0.00	41.83	312.96
13	कर्नाटक	0.00	25.96	1750.72	44.25	4.14	4.09
14	केरल	0.00	15.37	485.37	0.00	0.00	34.53
15	मध्य प्रदेश	2865.26	356.91	77.87	438.75	0.00	4.10
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00	2163.44	43.27	0.00	0.00
17	मणिपुर	0.00	87.66	54.96	7.04	0.00	0.00
18	मेघालय	0.00	0.00	269.92	0.00	30.66	0.00
19	मिजोरम	0.00	0.00	30.43	18.60	0.00	0.00
20	नागालैंड	0.00	0.00	42.38	48.31	0.00	7.17
21	ओडिशा	0.00	15.53	1713.24	514.23	38.29	164.93
22	पंजाब	0.00	0.00	252.06	0.00	0.00	0.00
23	राजस्थान	0.00	0.00	2819.41	252.52	0.00	5.42
24	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10	0.00
25	तेलंगाना	0.00	0.00	462.30	82.62	0.00	0.00
26	तमिलनाडु	924.12	3.44	0.00	5.33	0.00	0.00
27	त्रिपुरा	0.00	48.19	74.12	49.38	0.00	1.10
28	उत्तर प्रदेश	313.93	1121.07	6632.99	1248.97	0.00	296.79
29	उत्तराखंड	0.00	1.48	842.00	71.21	3.31	0.00
30	पश्चिम बंगाल	4262.10	145.03	0.00	305.19	0.00	61.72
31	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96	0.00
32	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15	0.00
	<b>कुल</b>	<b>8853.14</b>	<b>3607.40</b>	<b>32934.32</b>	<b>4604.98</b>	<b>605.01</b>	<b>1464.30</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 21.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 915 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत उप-केंद्र

क्रम सं.	राज्य/यूटी	आईपीडीएस	डीडीयूजीजेवाई	कुल
1	आंध्र प्रदेश	93	131	224.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1.00
3	असम	8	0	8.00
4	<b>बिहार</b>	<b>62</b>	<b>288</b>	350.00
5	छत्तीसगढ़	32	80	112.00
6	गुजरात	44	25	69.00
7	हरियाणा	7	14	21.00
8	हिमाचल प्रदेश	2	16	18.00
9	जम्मू व कश्मीर	21	40	61.00
10	झारखंड	26	0	26.00
11	कर्नाटक	1	0	1.00
12	केरल	3	2	5.00
13	महाराष्ट्र	128	215	343.00
14	मणिपुर	4	0	4.00
15	मेघालय	6	6	12.00
16	मिजोरम	1	0	1.00
17	मध्य प्रदेश	51	117	168.00
18	नागालैंड	2	0	2.00
19	ओडिशा	14	15	29.00
20	पुडुचेरी	0	0	0.00
21	पंजाब	0	0	0.00
22	राजस्थान	157	208	365.00
23	तमिलनाडु	56	107	163.00
24	तेलंगाना	37	84	121.00
25	त्रिपुरा	1	0	1.00
26	उत्तर प्रदेश	240	237	477.00
27	उत्तराखंड	1	0	1.00
28	पश्चिम बंगाल	58	80	138.00
29	अंडमान व निकोबार	0	5	5.00
<b>सकल योग</b>		<b>1056</b>	<b>1670</b>	<b>2726.00</b>

\*\*\*\*\*